न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
25-1-23	[illegible] पेश हुई। [illegible] उप./अनुविभाग/पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली वास्ते कार्यवाही जेर दिनांक 06-02-23 को पेश हो।
06.02.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील वादी एक पक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 17.02.2023 को पेश हों। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर(सीकर) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
17.02.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। प्रकरण में विस्तृत निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली [illegible]। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली [illegible] बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 17/02/23 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी,श्रीमाधोपुर (सीकर) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.26 10:35:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
42 / 2021	2021 / 095	24.03.2021	17.02.2023

उनवान प्रकर

भागीरथमल मीणा दत्तक पुत्र श्योकरण मीणा उम्र 38 साल जाति मीणा निवासी ढाणी जलधारी वाली तन ग्राम सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

——वादी–

बनाम

1. माला पुत्र डूंगा जाति मेघवंशी निवासी सिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
2. पटवारी हल्का सिमारला जागीर तह0 श्रीमाधोपुर।
3. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0।

——प्रतिवादीगण

उपस्थितः–

श्री अनिल कुमार यादव, एड0 वादी अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से

वादपत्र बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.26 10:35:43 IST
Reason: SelfAttested

17/02/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 488, 489, 490, 531, 532, 533, 534, 535, 542 कुल किता 9 कुल रकबा 5.1100 है० तन ग्राम शिमारला जागीर पटवार हल्का शिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज० में अवस्थित है। जिसमें 1/4 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम गलत रूप से दर्ज हैं। उक्त वर्णित भूमि के पुराने खसरा नम्बर 224, 225, 226, 222, 223 तन ग्राम सिमारला जागीर है एवं भूमि की 1/4 हिस्सा की खसरा गिरदावरियां वादी के दत्तक पिता श्योकरण पुत्र औंकार के नाम दर्ज चली आ रही है एवं 1/4 हिस्सा की भूमि पर पूर्व में वादी का दत्तक पिता श्योकरण पुत्र औंकार काबिज काश्त चला आ रहा था एवं उसकी मृत्युउपरान्त वादी काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/4 हिस्सा की खातेदारी गलत रूप से दर्ज चली आ रही है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का मौके पर कोई कब्जा काश्त नहीं है ना ही कभी रहा है। इसलिए उक्त 1/4 हिस्सा की खातेदारी वादी अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 को भूमि को गलत खातेदारी की आड में विगर को विक्रय रहन अन्तरण करने व विगर का बलात कब्जा करवाने व वादी को भूमि से बेदखल करने व जबरन कब्जा करने व कब्जा काश्त में मजाहमत करने को कोई अधिकार किसी किस्म का नहीं है। इसलिए वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी हैं। वादी के नाम भूमि की खातेदारी दर्ज नही होने से वादी को सख्त हक तलफी है एवं वादी को राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं से महरूम होना पड रहा है। इसलिए वादी के नाम 1/4 हिस्सा की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को भूमि की खातेदारी वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में [illegible] करवाने हेतु कहा तो पहले तो आश्वासन देता रहा है परन्तु अब प्रतिवादी [illegible] बेईमानी आ गयी हैं इसलिए दिनांक 02.03.2021 को खातेदारी दर्ज करवाने से इन्कार [illegible] गया एवं धमकी दी है कि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.26 10:35:43 IST
Reason: SelfAttested

12/04/23
दिलीप सिंह
[illegible] अधिकारी, श्रीमाधोपुर

को गलत खातेदारी की आड में दिगर को विक्रय रहन अन्तरण कर दिगर को बलात कब्जा करवाकर वादी को भूमि से बेदखल करवाकर रहेगा। दावापत्र पेश कर वकील वादी ने निवेदन किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 488, 489, 490, 531, 532, 533, 534, 535, 542 कुल किता 9 कुल रकबा 5.1100 है0 तन ग्राम शिमारला जागीर पटवार हल्का शिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में 1/4 हिस्सा की खातेदारी से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज किये जाने तथा प्रतिवादी संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाये जाने का निवेदन किया हैं। इसलिए दावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। तामीलों की डाक विभाग की ट्रेकिंग रिपोर्ट पेश की गई। जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की तामील सम्यक हो चुकी है तथा बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी संख्या 1 की ट्रैकिंग रिपोर्ट में "Item Retwened Deceased" अंकित होकर आई है। जिस पर वकील वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 की सम्मन तामील जरिये समाचार पत्र "दैनिक नवज्योति" में साया/प्रकाशित करवाये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 की तामील समाचार पत्र में प्रकाशित करवाई गई। बावजूद समाचार पत्र में साया प्रकाशित हो जाने पर भी हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादी में वादी [illegible] परीक्षण में शपथ पत्र पेश किया। साक्ष्य वादी गवाहान मे रघुना[illegible] के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 [illegible] तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.26 10:35:43 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

से हो जाने के बावजूद हाजिर अदालतन नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने तथा साक्ष्य वादी में शपथ पत्र पेश हो जाने से वादपत्र में आज ही बहस सुनी जाकर प्रकारण को स्वीकार किये जाने का निवेदन वकील वादी द्वारा अपनी बहस में किया गया है।

हमनें वादी अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादी अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077, भू प्रबन्ध विभाग रिपोर्ट, दत्तक ग्रहण पत्र स्टाम्प की प्रतिलिपि, मृत्यु प्रमाण पत्र, दैनिक समाचार पत्र "दैनिक नवज्योति" पत्रिका इत्यादि के रिकार्ड अवलोकन किया गया। जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त कृषि भूमि पुराने खसरा नम्बर 222 से 226 जिसके नवीन खसरा नम्बर 488, 489, 490, 531, 532, 533, 534, 535, 542 कुल किता 9 कुल रकबा 5.1100 है0 तन ग्राम शिमारला जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 के 1/4 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकार्ड होना स्पष्ट होता है। उक्त खसरा नम्बरान् पर पूर्व में वादी का दत्तक पिता श्योकरण पुत्र औंकार का नाम खसरा गिरदावरियो में दर्ज रिकार्ड होकर काबिज काश्त चले आना वादी ने अपने वादपत्र में अंकित किया है। जिसको साक्ष्य वादी गवाहान् में पेश शपथ पत्र प्रस्तुतकर्त्ताओं ने ताईद की है।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड इत्यादि का अवलोकन करने पर पाया गया कि वादपत्र में अंकित वादी की जाति मीणा है जो कि अनुसूचित जन जाति की श्रेणी के अन्तर्गत [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 की जाति बलाई है जो कि अनुसूचित जाति की श्रेणी के [illegible] काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.26 10:35:43 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

व्यक्तियों की भूमियों को दीगर जातियों के व्यक्तियों के पक्ष में किसी प्रकार के विक्रय लेख, दान या वसीयत किया जाना कतई वर्जित किया गया है। यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति की खातेदारी कृषि भूमियों को राजीनामा के आधार पर गैर अनुसूचित जाति या गैर अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति के पक्ष में यदि डिक्री किया जाता है तो यह अन्तरण भी धारा 42 (बी) अधिनियम के अन्तर्गत आएगा। चूंकि काश्तकारी अधिनियम जो विशिष्ट अधिनियम है, के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के सदस्य द्वारा अपनी कृषि भूमि का अन्तरण गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिए किया जाना निषेध कर रखा है। ऐसी सूरत में कानून के विरूद्ध ऐस्टोपल प्रभावी नहीं होता है। प्रस्तुत प्रकरण में अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति के द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम राजस्व रिकार्ड खातेदारी में दर्ज भूमियों के खातेदारी अधिकारों की घोषणा किये जाने हेतु प्रस्तुत वादपत्र का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना प्रकट होता है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) अधिनियम के प्रावधानों के विपरित होने के कारण किसी भी सूरत में डिक्री पारित नहीं की जा सकती क्योंकि विधि की दृष्टि से उक्त कार्यवाही वायड व गैर कानूनी है। इस प्रकार उक्त वादग्रस्त आराजी कृषि भूमियों में प्रतिवादी नम्बर 1 के स्थान पर वादी को उक्त 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी नम्बर 1 का उक्त 1/4 हिस्सा से नाम हजफ कर उक्त भूमियों की खातेदारी अधिकारों की घोषणा वादी के हक में किया जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता है।

12/04/23

दिलीप सिंह

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.26 10:35:43 IST
Reason: SelfAttested

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

17/02/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

यह निर्णय आज दिनांक 17.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/02/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.26 10:35:43 IST
Reason: SelfAttested